

जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सुनील गुप्ता और एसोसिएट्स प्रा. लि. 129-डीडीए साइट-1, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 25th July, 2011

No. F. 10(1995)/COS(HQ)/Cons.Duty/14846 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sunil Gupta & Associates Pvt. Ltd., 129 DDA Site-1, New Rajinder Nagar, New Delhi- 110060 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1996)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14847.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी प्रा.लि. डी-305, भू-तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,20,43,058 मूल्य के इक्विटी एवं प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 500101 से 619147 और 187401 से 571328 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 62,044 (रुपये बासठ हजार चव्वालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 19th July, 2011

No. F. 10(1988)/COS(HQ)/Cons.Duty/14629 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. LinkedIn Technology Information Pvt. Ltd., 16A/20, WEA Main Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005 shall pay a consolidated stamp duty ₹ 9,900 (Rupees nine thousand nine hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 99,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 10001 to 1000000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

सं. फा.10 (1995)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14846.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24

No. F. 10(1996)/COS(HQ)/Cons.Duty/14847 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Shubham Housing Development Finance Company Pvt.Ltd., D-305, Ground Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 62,044 (Rupees sixty two thousand forty four) only on the aggregate value of shares of ₹ 6,20,43,058 for equity shares with distinctive Nos. 500101 to 619147 and preference shares with distinctive Nos.187401 to 571328 to be issued by the said company.

दिल्ली, 26 जुलाई, 2011

सं. फा.10 (1992)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./14921.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि., 616-ए, (16ए, छठी मंजिल), देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 52,69,00,000 मूल्य के ऑप्शनली कनवर्टीबल, डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या OCD 01 से OCD 52690000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 13,17,250 (रुपये तेरह लाख सत्रह हजार दो सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 26th July, 2011

No.F. 10(1992)/COS(HQ)/Cons.Duty/14921 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Moser Power Bear and Infrastructures Ltd., 616-A, (16 A Sixth Floor) Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 13,17,250 (Rupees thirteen lakh seventeen thousand two hundred fifty) only on the aggregate value of debentures of ₹ 52,69,00,000 for issue of Optionally Convertible Debentures bearing distinctive No.OCD-01 to OCD- 52690000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 27 जुलाई, 2011

सं. फा.10 (1993)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14943.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इण्डूसिया फुड एंड ब्रेवरेजस इण्टरनेशनल प्रा.लि., सी-148, भू-तल, ओखला, फेज-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,20,69,390 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4042659 से 5249597 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,070 (रुपये बारह हजार सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 27th July, 2011

No .F. 10(1993)/COS(HQ)/Cons.Duty/14943 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Inducia Food & Beverages International Pvt.Ltd., C-148, GF, Okhla, Phase-I, New Delhi- 110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,070 (Rupees twelve thousand seventy) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,20,69,390 for issue of equity shares bearing distinctive Nos.4042659 to 5249597 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1997)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14944.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेडीकेटेड

फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., कमरा नं. 101/ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,08,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5591301 से 6671300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,80,000 (रुपये दस लाख अस्सी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1997)/COS(HQ)/Cons.Duty/14944 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd., Room No. 101/A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi- 110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,80,000 (Rupees ten lakh eighty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,08,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 5591301 to 6671300 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1991)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14945.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री परमानेन्स एजुकेशन सर्विसेज प्रा.लि., 448, पॉकेट-V, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1991)/COS(HQ)/Cons. Duty/14945 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Permanence Education Services Pvt. Ltd., 448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi- 110091 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 00001 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1990)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14946.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फ्रेन्च बेकरी प्रा. लि., के-39, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 49,99,995 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1097774 से 1208884 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,000 (रुपये पाँच हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1990)/COS(HQ)/Cons.Duty/14946 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. French Bakery Pvt. Ltd., K-39, Connaught Place, New Delhi- 110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,000 (Rupees five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 49,99,995 for issue of equity shares bearing distinctive No.1097774 to 1208884 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1999)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14947.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लिक्विड कैम्पेन प्रा.लि., 1211, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 72,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 72,00,00 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 7,200 (रुपये सात हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1999)/COS. (HQ)/Cons.Duty/14947 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Liquid Campaign Pvt. Ltd., 1211, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi- 110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 7,200 (Rupees seven thousand two hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 72,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 720000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1998)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./14948.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डब्ल्यूबी मैनेजमेंट कन्सल्टिंग प्रा.लि., 1211, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 500 (रुपये पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

No. F. 10(1998)/COS(HQ)/Cons.Duty/14948 .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s WB Management consulting Pvt. Ltd., 1211, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi- 110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 500 (Rupees five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 50000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R.K. MISRA, Spl. Inspector General (Registration)

सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय